(फोटो कापी) Entry 4107

समक्ष न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प

भोपाल (म.प्र.)

कोर्ट फी COURT FEE Rs. 20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

श्री मनीष कुमार सराठे, अधिवक्ता, द्वारा प्रस्तुत

Rto Coll

29/6/2018

अधीक्षक
कलेक्टरेट, होशंगाबाद

निगरानी - 4692/2018/होशंगाबाद/भू.रा.

(93)

1) मनीष अग्रवाल उम्र करीब 44 साल, आ0स्व0 विनोद अग्रवाल,
2) आशीष अग्रवाल उम्र करीब 42 साल, आ0स्व0 विनोद अग्रवाल,
3) पीयूष अग्रवाल उम्र करीब 33 साल, आ0स्व0 विनोद अग्रवाल,
4) टीना अग्रवाल उम्र करीब 32 साल, आ0स्व0 विनोद अग्रवाल,
5) श्रीमती स्नेहलता अग्रवाल उम्र करीब 67 साल पत्नि स्व0 विनोद अग्रवाल,

सभी निवासी एल.आई.जी. कालोनी, मकान नंबर – बी/54, खण्डवा तहसील व जिला खंडवा (म.प्र.)..............................आवेदकगण/पुनरीक्षणकर्तागण

बनाम

1) रमेश अग्रवाल उम्र करीब साल आ0 शिवनारायण अग्रवाल
निवासी राधावल्लभ मंदिर के पास सिवनी मालवा
तहसील सिवनी मालवा जिला होशंगाबाद (म.प्र.)

2) मध्य प्रदेश राज्य द्वारा कलेक्टर, होशंगाबाद..............................अनावेदकगण

डाक क्र. 5408 दि. 9-7-18

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत् धारा 50 म.प्र.भू–राजस्व संहिता

पुनरीक्षणकर्तागणों द्वारा यह पुनरीक्षण याचिका निम्न न्यायालय नायब तहसीलदार ओ0पी0सोनी सिवनीमालवा के नेतृत्व में राजस्व निरीक्षक मण्डल सिवनी मालवा जिला होशंगाबाद के प्रकरण क्रमांक 9/अ–12/2016–17 में की गयी सीमांकन कार्यवाही दिनांक 06/04/2017 एवं पारित आदेश दिनांक 23/05/2017 से दुखित व व्यथित होकर एक पुनरीक्षण याचिका, उक्त विधिविरूद्व, अवैधानिक, सीमांकन कार्यवाही के विरूद्व निम्न न्यायालय श्रीमान् अपर कलेक्टर महोदय होशंगाबाद को प्राप्त धारा 50(1) म.प्र.भू.रा.सं. संशोधन दिनांक 30/12/2011 के अनुसार स्वप्रेरणा की अधिकारीता के तहत विचारण नायंब तहसील एवं राजस्व निरीक्षक मंण्डल की ऐसी कार्यवाही जो संहिता के विरूद्व है एवं साथ ही आवेदक क्र– 1 द्वारा दिनांक 09/05/2017 को जनसुनवाई कलेक्टर होशंगाबाद में शिकायत क्रमांक आई.डी. 385280 माननीय अपर कलेक्टर साहब होशंगाबाद को की थी। उक्त शिकायत पर मान0 अपर कलेक्टर महोदय होशंगाबाद द्वारा स्वप्रेरणा से रिविजन मानते हुये कार्यवाही आरंभ की थी। उक्त रिविजन पर माननीय अपर कलेक्टर महोदय होशंगाबाद द्वारा पत्र क्रमांक 610/प्र.अ.कले./2017 दिनांक 09/05/17 को तहसीलदार सिवनीमालवा को अवमानना की कार्यवाही हेतु जारी किया तथा पुनः पत्र क्रमांक 633/प्र.अ.कले./2017 होशंगाबाद दिनांक 15/05/2017

आवेदक पीयूष टीना

.....2.....

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4692/2018/होशंगाबाद/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29-1-2019	आवेदकगण की ओर से श्री आदेश वर्मा, अभिभाषक उपस्थित । उनके द्वारा प्रकरण आगे नहीं चलाने का अनुरोध किया गया । अत: प्रकरण आवेदकगण के अभिभाषक के अनुरोध पर इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । अध्यक्ष	